जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर (राज.)

प्री टीचर एज्यूकेशन टेस्ट, 2014

दिनांक : अगस्त 01, 2014

महाविद्यालय आवंटन सूचना 09/2014

प्री टीचर एज्यूकेशन टेस्ट–2014 अभ्यर्थी जिन्होंने ऑफ केम्पस ऑन लाइन कॉउन्सलिंग में भाग लेकर महाविद्यालय चयन हेतु ऑप्शन दिये हैं, को सूचित किया जाता है कि महाविद्यालय आवंटन परिणाम उनके द्वारा दिये गये महाविद्यालय ऑप्शन एवं उनकी संकाय, पीटीईटी प्राप्तांक, श्रेणी, विषय संयोजन के आधार पर जारी किया जा चुका है। परिणाम **वेबसाईटः** **www.ptetadmissions.nic.in, www.ptetadmission.net** या **http://jnvuonline.in** पर देखा जा सकता है। अभ्यर्थियों को महाविद्यालय आवंटन सूचना डाक के माध्यम से नहीं दी जायेगी। अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे बी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु **अपनी पात्रता का निर्धारण स्वयं करें एवं यदि वे पात्र हैं तो** आगे उन्हें निम्नलिखित प्रक्रिया अपनानी है:

1. वेबसाईटस पर महाविद्यालय आवंटन का परिणाम देखें। यदि आपको महाविद्यालय आवंटित हो गया है **एवं आप बी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु पात्रता प्राप्ति के लिए निर्धारित तिथि 30 जुलाई, 2014 तक पात्र हैं तो** वेबसाईट पर उपलब्ध बैंक चालान को क्लिक कर खोलें तथा प्रिंट लें एवं राजस्थान में स्थित **बैंक ऑफ बड़ौदा** की किसी भी सी.बी.एस.**(Core Banking Solution) बैंक शाखा में दिनांक 02 अगस्त, 2014 से 11 अगस्त, 2014 तक बैंक कार्यदिवस एवं समयावधि में शेष शुल्क राशि रुपये 20,450/– (अखरे रुपये बीस हजार चार सौ पचास मात्र)** वेब साईट से प्राप्त चालान में दिये खाता संख्या में जमा करवाकर तय समय सीमा में आवंटित महाविद्यालय में व्यक्तिगत रूप से समस्त दस्तावेजों के साथ उपस्थिति दें।

अ) **वेबसाईटस पर से महाविद्यालय आवंटन पत्र का प्रिंट लें।**

ब) **शेष शुल्क राशि रु.20,450/– जमा करवाने की अवधि : 02 अगस्त, 2014 से 11 अगस्त, 2014 बैंक कार्य समय तक**

स) **आवंटित महाविद्यालय में उपस्थिति : 02 अगस्त, 2014 से 12 अगस्त, 2014 सांय 5.00 बजे तक**

2. आवंटित महाविद्यालय में उपस्थिति के वक्त अभ्यर्थी को महाविद्यालय आवंटन पत्र की वेब साईट से प्राप्त प्रति, जमा शुल्क रु.22,450/– (रु.2000/– एवं रु. 20,450/–) के दोनों मूल बैंक चालान एवं इनकी दो सुपाठ्य फोटोप्रतियां, दो पासपोर्ट साईज फोटो, समस्त शैक्षणिक मूल प्रमाण–पत्र, मूल निवास प्रमाण–पत्र, उस कैटेगरी का मूल प्रमाण–पत्र जिसके आप सदस्य है एवं जिसके आधार पर आपका प्रवेश हुआ है तथा सभी दस्तावेजों की दो–दो सुपाठ्य सत्यापित प्रतियाँ साथ में ले जाना आवश्यक है। अधिक जानकारी हेतु आवंटित महाविद्यालय, जिसके सम्पर्क नम्बर आवंटन पत्र में उपलब्ध है, से सम्पर्क करें।

3. महाविद्यालय में उपस्थिति के समय अभ्यर्थी महाविद्यालय में अपनी ऑन–लाईन रिपोर्टिंग करवायें एवं अपने प्रवेश को सुनिश्चित करने हेतु महाविद्यालय से **ऑन–लाईन कम्प्यूटर जनरेटेड प्रवेश स्लीप अवश्य प्राप्त करें। ऑन–लाईन रिपोर्टिंग के अभाव में उनके प्रवेश को सुनिश्चित किया जाना संभव नहीं हो सकेगा।**

<u>अभ्यर्थी विशेष ध्यान दें कि:</u> 1) यदि कोई अभ्यर्थी आवंटित महाविद्यालय में निर्धारित समयसीमा में समस्त दस्तावेजों सहित उपस्थिति देकर रिपोर्टिंग नहीं करवाते हैं तो उन्हें प्रवेश हेतु आगे कोई अवसर प्रदान नहीं किया जायेगा तथा उसके द्वारा छोड़े गये स्थान को रिक्त मानते हुए यह सीट प्रतीक्षा सूची के अन्य अभ्यर्थी को प्रदान की जायेगी । 2) अभ्यर्थी को बी.एड. पाठ्यक्रम में पात्रता प्रदान करने वाली परीक्षा स्नातक/स्नातकोत्तर, जो भी लागू हो, का परिणाम 30 जुलाई, 2014 तक अभ्यर्थी की श्रेणी हेतु वांछित प्राप्तांक प्रतिशत (सामान्य वर्ग हेतु न्यूनतम 50 प्रतिशत, राजस्थान के अनुसूचित जाति/जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग, विकलांग तथा विधवा एवं तलाकशुदा महिला अभ्यर्थियों के लिये **न्यूनतम 45 प्रतिशत** अंक इसमें **1 अंक भी कम मान्य नहीं होगा) सहित घोषित होना चाहिय। यदि अभ्यर्थी के गलत सूचना के आधार पर कॉउन्सलिंग में भाग लेने के फलस्वरूप किसी प्रकार महाविद्यालय आवंटित भी हो गया हो तो ऐसे अभ्यर्थी प्रवेश के पात्र नहीं हैं। ऐसे अभ्यर्थी शेष शुल्क जमा नहीं करवायें अन्यथा इसकी समस्त जिम्मेदारी अभ्यर्थी स्वयं की होगी एवं आवंटित महाविद्यालय द्वारा रिपोर्टिंग के समय ऐसे अभ्यर्थियों को प्रवेश से वंचित किया जायेगा एवं साथ ही उनके द्वारा जमा शुल्क राशि भी जब्त की जायेगी।** 3) आवंटित महाविद्यालय परिवर्तन की एकल या पारस्परिक किसी भी परिस्थिति में अनुमति नहीं होगी। उपर्युक्त सभी बिन्दुओं के सम्बन्ध में किया जाने वाला पत्र व्यवहार अमान्य होगा एवं पत्र व्यवहार की अधिकता के कारण ऐसे किसी पत्र का कोई जवाब नहीं दिया जायेगा।

<u>बी.एड. महाविद्यालयों हेतु सूचना:</u> महाविद्यालय अभ्यर्थियों की ऑन लाईन रिपोर्टिंग हेतु http://intraptet.nic.in वेबसाईट प्रयोग में ले। इसमें चूक करने वाले महाविद्यालयों के नाम राज्य सरकार को कार्यवाही हेतु प्रेषित किये जायेंगे।

दूरभाष : **0291-2652653, 2635598 (FAX)** प्रो. रमन कुमार दवे, समन्वयक, पीटीईटी